5 रु. भारत पाँच रु · Rs.5 INDIA FIVE RUPEES

232

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर केम्प सागर

उमराव बल्द घस्सा अहिरवार , R 4070-I-16

निबासी ग्राम महूनाजाट , तहसील खुरई, जिला सागर ,

................**आवेदक**

वनाम

1— म0प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर सागर,

2— म0प्र0 शासन द्वारा तहसीलदार खुरई, जिला सागर म0प्र0

................**अनावेदक**

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0 संहिता 1959 :—

आवेदक की ओर से निम्न प्रर्थना है :—

1— यह कि आवेदक यह निगरानी न्यायालय श्रीमान कलेक्टर महोदय सागर जिला सागर द्वारा प्र0 क्र0 173 अ/21/2015—16 में पारित आलोच्य आदेश दिनांक 12/11/2016 से परिवेदित होकर कर रहा हैं, जो समय सीमा में है। जिसकी सुनवाई का क्षेत्राधिकार श्रीमान जी को प्राप्त है।

2— यह कि प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, आवेदक के नाम से ग्राम महूनाजाट, प0 ह0 नं0 38, तहसील खुरई, जिला सागर में खसरा नंबर खसरा नंबर 12 में कुल रकवा 2.02 हैक्टेयर भूमि भूमि स्वामी हक में राजस्व अभिलेख में दर्ज है। उपरोक्त भूमि काफी कंकड़ीली पथरीली होंने से आवेदक अपनी पारिवारिक अवश्यकताओं के पूर्ति तथा पुत्री की शादी करने तथा शेष भूमि को सिंचित बनाने वावद 0.80 हैक्टेयर, यानि के 02 एकड़ भूमि बिकय करना चाहता है। जिस वावद उनके द्वारा एक आवेदनपत्र कलेक्टर महोदय सागर को देने पर उनके द्वारा उपरोक्त आवेदनपत्र अपने द्वारा पारित आदेश दिनांक 12/11/2016 के द्वारा निरस्त कर दिया। जिससे परिवेदित होकर आवेदक अन्य आधारों के अलावा निम्न आधारों पर यह निगरानी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर रहा है।

निगरानी के आधार

राजेन्द्र पटैरिया (एड.)
बार रूम क्र. 1 जिला कोर्ट सागर
नि.- 142, मनोरमा कॉलोनी, सागर
मो.- 9425451002

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

निगरानी प्रकरण क्रमांक– R-५०७०/I/2016 जिला– सागर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश **उमराव अहिरवार वनाम म0 प्र0 शासन**	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
18.1.17	1– मैंने प्रकरण का अवलोकन किया, आवेदक के अधिवक्ता श्री राजेन्द्र पटैरिया द्वारा यह निगरानी अधिनस्थ न्यायालय कलेक्टर सागर जिला, द्वारा प्र0क0 173 अ/21/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 12/11/2016 से दुखित होकर प्रस्तुत की है। 2– आवेदक की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता श्री राजेन्द्र पटैरिया तथा शासन की ओर से पेनल लॉयर अधिवक्ता उपस्थित, उनके तर्क श्रवण किये गये। आवेदक के अधिवक्ता द्वारा अपने तर्कों में उन्हीं तथ्यों एवं आधारों को बतलाया गया है, जो कि निगरानी मीमों में लेख किये गये हैं। आवेदक द्वारा अपनी निगरानी के साथ अधिनस्थ न्यायालय के संपूर्ण प्रकरण की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत की गई है। आवेदक के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों के आधार पर प्रकरण का अवलोकन किया गया। जिसके अनुसार आवेदक के नाम से ग्राम महूनाजाट. प0 ह0 नं0 38, तहसील खुरई, जिला सागर में खसरा नंबर खसरा नंबर 12 में कुल रकवा 2.02 हैक्टेयर यानि कि 5.00 एकड़ भूमि, भूमिस्वामी हक में राजस्व अभिलेख में दर्ज है। उपरोक्त भूमि आवेदक को बर्ष 1970 के पूर्व पट्टा पर प्राप्त हुई थी, उपरोक्त भूमि काफी कंकड़ीली पथरीली होने से आवेदक अपनी पारिवारिक अवश्यकताओं के पूर्ति तथा पुत्री की शादी करने तथा शेष भूमि को सिंचित बनाने वावद 0.80 हैक्टेयर, यानि के 02 एकड़ भूमि बिक्रय करने की अनुमति प्रदान करने वावद एक आवेदनपत्र कलेक्टर सागर को देने पर उनके द्वारा उपरोक्त आवेदनपत्र आदेश दिनांक 12/11/2016 के द्वारा निरस्त कर दिया। जिससे परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।	

3– आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदनपत्र के आधार पर कलेक्टर द्वारा प्रकरण जांच प्रतिवेदन तलब करने वावद तहसीलदार खूरई को भेजा गया। तहसीलदार खुरई द्वारा प्रकरण में हल्का पटवारी से प्रतिवेदन चाहा। हल्का पटवारी द्वारा निर्धारित प्रोफार्मा में प्रतिवेदन दिनांक 25/06/2016 अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया। जिसमें उसके द्वारा प्रतिवेदित किया कि आवेदक के नाम से 2.02 हैक्टेयर भूमि, भूमिस्वामी हक में राजस्व अभिलेख में दर्ज है। उपरोक्त वादभूमि आवेदक को बर्ष 1970 के पूर्व पटटा पर प्राप्त हुई थी। वादभूमि में सिंचाई का कोई स्वयं का साधन न होकर नाला से सिंचित है, आवेदक वृद्व होने से कृषि कार्य करने में अक्षम है। आवेदक को कोई शासकीय सहायत प्राप्त नहीं हुई है। आवेदक भूमिहीन नहीं हो रहा है। वह वादभूमि में से 0.80 हैक्टेयर भूमि मात्र बिकय कर रहा है। उसके पास 1.22 हैक्टेयर भूमि शेष बच रही है। पटवारी द्वारा ग्राम पंचायत से अभिमत लिया तो ग्राम पंचायत द्वारा भी उपरोक्त भूमि बिकय करने की अनुशंशा की गई है, ग्राम पंचायत का अभिमत संलग्न है। तहसीलदार द्वारा आम इश्तहार का प्रकाशन किया गया कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। प्रकरण में बैंकों का नो डयूज भी संलग्न है, किसी भी बैंक में भूमि रहन या बंधक नहीं है। उप पंजीयक खुरई द्वारा वादभूमि की शासकीय कीमत 900000/– नौ लाख रूपया हैक्टेयर सिंचित तथा 4,50,000/– चार लाख पचास हजार रूपया हैक्टेयर असिंचित लेख की है। अधिनस्थ न्यायालय के प्रकरण में वादभूमि को बिकय करने वावद आवेदक द्वारा जो इकरारनामा संपादित किया है वह भी संलग्न है। जिसमें उसके द्वारा वादभूमि में से 0.80 हैक्टेयर भूमि रामशास्त्री पिता रामगोपाल शास्त्री शुक्ला तथा विवेक सिंह पिता महेन्द्र सिंह ठाकुर को बिकय करने का इकारार दिनांक 28/04/2016 को किया है । तत्संबंध में आवेदक का शपथपत्र भी संलग्न है। तहसीलदार द्वारा आवेदक एवं केता रामशास्त्री के कथन भी अंकित किये है। आवेदक द्वारा शेष बची भूमि को उपजाउ बनाने, कूप निर्माण करने व अपनी पुत्री की शादी करने वावद रूपयों की अवश्यकता है, जिस वावद वह तीन लाख रूपया प्रस्ताबित केताओं के अग्रिम प्राप्त भी कर चुका है। वादभूमि का बिकय सद्भागिवक हो रहा हैं, आवेदक भूमिहीन नहीं हो रहा है। उसके पास 1.22 हैक्टेयर भूमि शेष बच रही है। आवेदक की उम्र

बर्तमान में 70 साल की हो चुकी है। वह मेहनत करने के लायक नहीं है। तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा भूमि को बिक्रय करने की अनुशंशा की है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण की परिस्थितयों पर गौर किये बगैर ही प्रश्नाधीन आदेश पारित किया है। अतः प्रकरण की उपरोक्त परिस्थितयों को ध्यान में रखते हुये आवेदक को उपरोक्त वादभूमि में से 0.80 हैक्टेयर यानि 2.00 एकड़ भूमि बिक्रय करने की अनुमति प्रदान करना उचित एवं सदभाविक पाता हूँ।

अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है, कलेक्टर सागर द्वारा पारित प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 12/11/2016 निरस्त करते हुये, आवेदक को प्रश्नाधीन भूमि रकवा 0.80 हैक्टेयर, प्रस्ताबित केता श्रीराम शास्त्री एवं विवेक सिंह को शासकीय दर पर बिक्रय करने की अनुमति प्रदान की जाती है। संबंधित उप पंजीयक बिक्रय पत्र प्रस्तुत होने पर नियमानुसार पंजीबद्व करें तथा तहसीलदार बिक्रय पत्र के आधार पर विधिवत क्रेताओं के नाम नामांतरण स्वीकृत करें। उपरोक्तानुसार निगरानी निराकृत की जाती है। प्रकरण का परिणाम दर्ज करके राजस्व मंडल का यह प्रकरण दा0 द0 हो।

सदस्य